

By e-mail
"अध्यक्ष" / "अध्यक्ष"

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(या)()/डीएलबी/2022/1350-1356

दिनांक: 25-1-2023

1. उपनिदेशक(क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त राजस्थान,
2. आयुक्त,
नगर निगम
समस्त राजस्थान।

1357-1366

विषय:— डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:— विभागीय अधिसूचना 9329 दिनांक 22.10.2021 एवं आदेश 20178 दिनांक 28.11.2022 एवं पत्र क्रमांक 21514-21763 दिनांक 19.12.2022 एवं पत्र क्रमांक 1189-1202 दिनांक 23.01.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा दिनांक 01.04.2022 से आज दिनांक तक आवंटित डेयरी बूथों की सूचनाएं चाही गयी थी। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि प्राप्त सूचनाएं त्रुटीपूर्ण/अधूरी प्रेषित की गई है तथा आवंटित लक्ष्य के अनुरूप भी नहीं है। इस प्रकार बूथ आवंटन की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है जो खेद का विषय है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार में स्थित स्थानीय निकायो/निगमों को विभागीय आदेश दिनांक 28.11.2022 द्वारा आवंटित डेयरी बूथों का आवंटन आगामी 15 दिवसों में पूर्ण करवाते हुए गूगल शीट पर नवीनतम प्रगति से अवगत करावें। चूंकि उक्त सूचनाएं बजट घोषणा से संबंधित है अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 25-1-2023

क्रमांक: प.8(क)(या)()/डीएलबी/2022/1360-1600

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिकाएँ समस्त राजस्थान।
4. प्रोग्रामर (आई.टी.सैल), निदेशालय।
5. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी